INDIA NON JUDICIAL

IN-UP02321797391222V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

AVESH KUMAR
SARDHANA MEERUT
ACC CODE-UP14150704

Certificate No.	:	IN-UP02321797391222V
Certificate Issued Date	:	01-Sep-2023 10:23 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14150704/ SARDHANA/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14150704002172394023O3V
Purchased by	:	KASTURI COLLEGE OF EDUCATION
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KASTURI COLLEGE OF EDUCATION
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	KASTURI COLLEGE OF EDUCATION
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

GOVT. OF UTTAR PRADESH (India) NOTARY

Statutory Alert:

शपथ पत्र

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओ की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र

(प्रारूप –"अ")

हम अर्चना शर्मा एवं प्रियंका भारद्वाज क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव कस्तूरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बदरूद्दीन नगर, नानू, सरधना रोड मेरठ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करती हैं –

1. यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा **कस्तूरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित हैं।
2. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम **ग्राम बदरूद्दीननगर नानू तहसील सरधना जिला मेरठ** में गाटा संख्या **1135 मि, 1137, 1144क, 1144ख** एवं **1.0020** हेक्टेयर (कुल रकबा **.1.0020** हेक्टेयर) भूमि हैं।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा हैं, और भूमि विवाद रहित हैं।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या **1135 मि, 1137, 1144क, 1144ख** एवं **1.0020 हेक्टेयर** रकबा (कुल रकबा **1.0020** हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक **16.04.2020** द्वारा पारित किया गया हैं।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया हैं।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउंन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमो के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था फार्मेसी काउंन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध एवं पाठ्यक्रमो के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया हैं, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओ एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती हैं तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं। यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गई विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

Priyanka
ह0 सचिव

Archana
ह0 अध्यक्ष

ATTESTED
NOTARY
01/04/23

Scanned with OKEN Scanner